

प्रारूप-(ख)

(देखिए नियम 9 (3), (4) और (6)

कार्यालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- एफ12(3)(33)राजस्व/15/ 4124

दिनांक :- 10-06-2015

-: संशोधित संपरिवर्तन आदेश :-

प्रार्थी गगनदीप सोनी पुत्र श्री अन्नतराम सोनी निवासी वार्ड नं -3 शस्त्री कालोनी रायसिंहनगर के आवेदन पर पूर्व में औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई भूमि को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम-2007 के नियम 10(4) के अधीन अकृषि प्रयोजन (शैक्षणिक) के लिए संपरिवर्तित किया जाता है । जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:-

1-आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	गगनदीप सोनी पुत्र श्री अन्नतराम सोनी निवासी वार्ड नं -3 शस्त्री कालोनी रायसिंहनगर
2-क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	नहीं
3-मूल संपरिवर्तन आदेश में संपरिवर्तित भूमि का प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक सहित	कृषि व्यवसाय पर आधारित औद्योगिक (पशु आहार) प्रयोजन (उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर आदेश क्रमांक 919-923 दिनांक 30.11.2011)
4- संपरिवर्तन का संशोधित प्रयोजन	शैक्षणिक
5-संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:- (क) ग्राम ,ग्राम पंचायत, तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरासंख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल में उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर/बीघा में)	चक 17 आर.बी. ,ग्राम पंचायत 71 आर.बी.,तहसील रायसिंहनगर प0नं0 207/255 के मु0नं0 44 के किला नम्बर 21/0.253, 22/0.253, 23/0.253, 24/0.240 कुल 0.999 हैक्टर प0नं0 207/255 के मु0नं0 44 के किला नम्बर 21/0.253, 22/0.253 ,23/0.253, 24/0.240 कुल 0.999 हैक्टर
6-मूल संपरिवर्तन आदेश में संदाय प्रीमियम की दर	रुपये 5/- प्रति वर्गमीटर
7- मूल आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई प्रीमियम की राशि चालान नं0 व दिनांक सहित	चालान संख्या 1 दिनांक 26.11.2011 के द्वारा प्रीमियम रुपये 63250/- मद 0029 में जमा कराये गये ।
8-संशोधित संपरिवर्तन में संदाय प्रीमियम की दर	रुपये 10/- प्रति वर्गमीटर


जिला कलेक्टर
श्री गंगानगर

9-संपरिवर्तन शुल्क अन्तर राशि जमा होने की चालान की संख्या तथा तारीख	चालान क्रमांक जीआरएन-006471393 दिनांक 02.06.2015 के द्वारा रुपये 74925/-मद 0029 में जमा कराये गये ।
10- चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
11-चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज,यदि कोई हो,की जमा कराई गई रकम	नहीं
12- अन्य विशिष्टियां,यदि कोई हो	नहीं

11-उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (1)उपर्युक्त अकृषिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
- (2) आवेदक को इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करना होगा । यदि आवेदक पांच वर्ष की अवधि में संपरिवर्तित प्रयोजन उद्देश्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं कर पाता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जाएगा ।
- (3)नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
- 4)प्रश्नगत भूमि के मध्य से जा रही एच.टी.लाईन के नीचे कोई निर्माण नहीं किया जा सकेगा । एच.टी. दोनो साईड तरफ 3.45 मीटर-3.45 मीटर स्थान खुला रखा जाना अनिवार्य होगा ।
- (5) इंडियन रोड काग्रेंस के मानदण्डों के अनुसार सडक के मध्य बिन्दु से 15 मीटर दूरी छोडकर निर्माण करना होगा ।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांक :-एफ12(3)(33)राजस्व/15/ 4127

दिनांक :- 10-06-2015

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर ।
- 2- सरंपच ग्राम पंचायत 71 आर.बी. ।
- 3- गगनदीप सोनी पुत्र श्री अन्नतराम सोनी निवासी वार्ड नं -3 शास्त्री कालोनी रायसिंहनगर


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर